

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर आ दे श

क्रमांकए/1775...../
(तीन-18-1/2022)

जबलपुर, दिनांक 08 अप्रैल, 2022

(ए) जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर पदस्थ नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गये प्रशासनिक अधिकारियों को उसी हैसियत से स्थानांतरित कर, सारिणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शायी गयी वर्तमान स्थापना से स्तंभ क्रमांक (4) में दर्शायी गयी स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है।

स.क्र.	प्रशासनिक अधिकारी का नाम	कहाँ से	कहाँ को	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री जितेन्द्र अग्रवाल	टीकमगढ़	झाबुआ	रिक्त पद पर
2	श्री ओमप्रकाश झा	अशोकनगर	कटनी	श्री बृजेश पाठक के स्थानांतरण के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर
3	श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव	बैतूल	विदिशा	श्री राजेन्द्र कु. दुबे के स्थानांतरण के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर
4	श्री श्यामबाबू भार्गव	पन्ना	टीकमगढ़	श्री जितेन्द्र अग्रवाल के स्थानांतरण के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर
5	श्री शैलेन्द्र जोशी	मंदसौर	इंदौर	श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी के स्थानांतरण के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर
6	श्रीमती पमीना शर्मा	धार	बैतूल	श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव के स्थानांतरण के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर
7	श्री राजेन्द्र कुमार दुबे	विदिशा	धार	श्रीमती पमीना शर्मा के स्थानांतरण के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर
8	श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी	इंदौर	खण्डवा	रिक्त पद पर
9	श्री बृजेश कुमार पाठक	कटनी	पन्ना	श्री श्यामबाबू भार्गव के स्थानांतरण के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर

//2//

प्रशासनिक अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार दुबे; विदिशा, श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी; इंदौर एवं श्री बृजेश कुमार पाठक; कटनी के स्थानांतरण, उनके अभ्यावेदन को स्वीकार कर, उनके स्वयं के व्यय पर किये गये हैं।

- (बी) श्री राकेश कुमार चतुर्वेदी, प्रशासनिक अधिकारी, गुना का स्वयं के व्यय पर एकल स्थानांतरण किये जाने संबंधी अभ्यावेदन विचारोपरांत आस्थगित रखा गया है।
- (सी) श्री रामचंद्र गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी, मुरैना का स्वयं के व्यय पर एकल स्थानांतरण किये जाने संबंधी अभ्यावेदन विचारोपरांत निरस्त किया गया है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

[Handwritten Signature]
08.4.2022
{विधेक सक्सेना}
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

पृ.क्र. ए/1776 /
(तीन-18-1/2022)


जबलपुर, दिनांक 08 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि :-

- (1) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **टीकमगढ़, झाबुआ, अशोकनगर, कटनी, बैतूल, विदिशा, पन्ना, मंदसौर, इंदौर, धार, खण्डवा, गुना, मुरैना (म.प्र.)** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निवेदन है कि आपकी पदस्थापना से स्थानांतरित कर्मचारियों को अपनी पदस्थापना से इस प्रकार कार्यमुक्त कर निर्देश देवें कि उनके द्वारा नवीन पदस्थापना पर **दिनांक 25.4.2022** तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित किया जा सके। यह भी अनुरोध है कि संबंधित कर्मचारियों को भारमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से रजिस्ट्री को अवगत करावें।
- (2) प्रशासनिक अधिकारी, जिला स्थापना अनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- (3)
 - (1) श्री जितेन्द्र अग्रवाल, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़;
 - (2) श्री ओमप्रकाश झा, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर;

- (3) श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल;
- (4) श्री श्यामबाबू भागवत, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना;
- (5) श्री शैलेन्द्र जोशी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर;
- (6) श्रीमती पमीना शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार;
- (7) श्री राजेन्द्र कुमार दुबे, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा;
- (8) श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर;
- (9) श्री बृजेश कुमार पाठक, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना;
- (10) श्री राकेश कुमार चतुर्वेदी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना;
- (11) श्री रामचंद्र गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना;

की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि स्थानांतरित प्रशासनिक अधिकारीगण आदेश की प्रति डाउनलोड करें तथा अपनी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपे कि पदस्थापना के नये स्थान पर **दिनांक 25.4.2022** तक कार्यभार ग्रहण कर सकें।


{विवेक सक्सेना}
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)